


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

फुलर्टन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लि. बनाम मैसर्स सेटीफिकेशन फूड कार्नर

प्रकरण संख्या : 239/2018 ( धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
13.02.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। उभय पक्ष अधिवक्ता को गोर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय एस वी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 408/2019 में दिनांक 09.07.2019 से स्थगन जारी किया हुआ है।</p> <p>अतःप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पश्चात नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	